

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-36/2023

धारा-144 दं०प्र०सं०

सुनिल कुमार मेहता -बनाम- रघुनन्दन साव वगै०

संख्या	-: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-	अभियुक्ति								
	<p>यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 24.02.2023 को दं०प्र०सं० कि धारा 144 के तहत कार्यवाही को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।</p> <p>विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :- मौजा-सरैया, थाना-पदमा ओ०पी०, जिला-हजारीबाग।</p> <table border="1" data-bbox="287 582 1244 806"> <thead> <tr> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td> <td>1215</td> <td>03 डी० मधे रकबा 01 डी०</td> <td>उ०- नारायण साव द०- वावुलाल साव का मकान पू०- सरता प०- परती कदीम</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभिलेख में दाखिल कारणपृच्छा, दाखिल दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील तथा उभय पक्षों के बयानातों से प्रतित होता है कि उभय पक्षों के पास प्रश्नगत भूमि के स्वत्व से संबंधित अलग-अलग दस्तावेज हैं एवं इन्हीं अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर अपने स्वत्व एवं दखल कब्जा का दावा करते हैं। उभय पक्षों का वाद अपने स्वत्व के आलोक में प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा पाने का है, जिसका निवारण दं०प्र०सं०-144 अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। अतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष अपने स्वत्व के आलोक में दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय, व्यवहार न्यायालय में जा सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="335 1433 654 1590"> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग</p> </div> <div data-bbox="829 1433 1149 1590"> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग</p> </div> </div>	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी	77	1215	03 डी० मधे रकबा 01 डी०	उ०- नारायण साव द०- वावुलाल साव का मकान पू०- सरता प०- परती कदीम	
खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी							
77	1215	03 डी० मधे रकबा 01 डी०	उ०- नारायण साव द०- वावुलाल साव का मकान पू०- सरता प०- परती कदीम							